न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 61/2025 FSSA

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री अशोक कुमार सेठी पुत्र श्री रामकिशोर सेठी
   मैसर्सः– सेठी प्रोविजन स्टोर ग्राम पोस्ट बिवाई, 303313 जिला दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 13.4.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.3.2023 को दोपहर बाद 04.10 बजे मैसर्स सेठी प्रोविजन स्टोर ग्राम पोस्ट बिवाई जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अशोक कुमार सेठी पुत्र श्री रामकिशोर सेठी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेंस होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के लूज कट्टे में करीबन 28 कि.ग्राम लाल मिर्च पाउडर (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 कि.ग्रा. लाल मिर्च पाउडर (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया, जिसकी कीमत 440रूपये फर्म को नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान मैनेजर के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG–4815 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफ. बी.ओ. (मैनेजर) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. मैनेजर को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (मैनेजर) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री रामकेश गुर्जर आरएचजी 371 के द्वारा दिनांक 8.7.2025 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.7.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.7.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./473/एक्ट/2025/469 दिनांक 18.7.2025 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक (Substandard) एवं नियम 2.3.14(15) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./473/एक्ट/2025/469 दिनांक 18.7.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के नमूने में **Moisture 11.72%** पायी गई है जो **11.0% by weight** से अधिक नहीं होनी चाहिये, इसलिये अमानक स्तर **(Substandard)** एवं नियम **2.3.14(15) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। विक्रेता ने लाल मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) (V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। मेरे द्वारा लाल मिर्च को पिसवाकर ग्राहको की मांग के अनुसार लाल मिर्च पाउडर खुला विक्रय किया गया है। मुझको यह मालूम नहीं था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार लाल मिर्च पाउडर को खुला विक्रय करना वर्जित है। भविष्य में मेरे द्वारा खाद्य पदार्थ का खुले रूप में विक्रय नहीं किया जायेगा। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ जो छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का जीवन–यापन करता हूँ। प्रथम बार हुई गलती के लिये मुझ पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./473/एक्ट/2025/469 दिनांक 18.7.2025 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना अमानक स्तर **(Substandard)** एवं नियम **2.3.14(15) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक स्तर **(Substandard)** का लाल मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) (V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 एवं 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अशोक कुमार सेठी पुत्र श्री रामकिशोर सेठी मैसर्सः– सेठी प्रोविजन स्टोर ग्राम पोस्ट बिवाई, जिला दौसा पर 5000/–(अक्षरे पॉच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 13.4.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.4.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/4/26
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/ 2026/ 117-119 दिनांकः– 15 .4.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार सेठी पुत्र श्री रामकिशोर सेठी मैसर्सः– सेठी प्रोविजन स्टोर ग्राम पोस्ट बिवाई, 303313 जिला दौसा।

13/4/26
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा